न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 35/2016

1. कृष्णलाल | पिसरान नन्दराम
2. कालूराम |
3. बलराम | पिसरान बीरबलराम
4. राजेन्द्र |
5. सुदेश कुमार | पिसरान हंसराज
6. मनीष कुमार |

जाति जाट निवासीगण बख्तावरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

-- अपीलार्थीगण

बनाम

1. बलवन्तकौर पत्नी हरचन्द
2. मन्दरसिंह पुत्र हरचन्द
3. सिकन्दर सिंह पुत्र हरचन्द
4. गुरदीपसिंह पुत्र हरचन्द

जाति जटसिख निवासी झण्डावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

--रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ
दिनांक 26.02.2014

उपस्थितिः-

श्री अशोक छाबडा,अभिभाषक अपीलांट
श्री राकेश कुमार मनचन्दा , अभिभाषक रेस्पो.
श्री श्यामसुन्दर चाण्डक , राजकीय अधिवक्ता

9/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय दिनांक :– 09.10.2017

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 26.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त आदेश के द्वारा चक 1 बी.के.एस.एम. के प.नं. 118/36 के कि.नं. 10 में 0.215है0 भूमि रेस्पों. सं. 1 से 3 को बतौर स्मालपेच आवंटित की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के आवंटन हेतु भैराराम द्वारा प्रा.पत्र पेश करने पर प्रा.पत्र दर्ज कर चिपते हुए काश्तकारों को सूचित करने के आदेश दिये। दिनांक 25.11.2013 को हरचन्द को रजिस्ट्रर्ड नोटिस से तलब करने के आदेश दिये गये। दिनांक 23.01.2014 को बलवंत कौर द्वारा प्रा.पत्र पेश किया गया। तत्पश्चात दिनांक 25.02.2014 को निलामी के आदेश दिये गये एवं दिनांक 25.02.2014 को भूमि रेस्पों. का आवंटित कर दी। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपीलांट राशि 50000/– रूपये में उक्त भूमि लेने को तैयार है जबकि रेस्पों. को राशि 30000/– रूपये में आंवटित की गई है। अपील पेश करने की अनुममि बाबत अपीलांट ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर, बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए राशि 50000/– रूपये में विवादित भूमि अपीलांट को आवंटित करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा निलामी के आदेश दिये गये। अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पों. द्वारा बन्द लिफाफा निलामी हेतु पेश किया और किसी का लिफाफा

9/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नहीं होने से अधी. न्यायालय ने रेस्पों. को आवंटन करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्ड रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 26.02.2014 के विरूद्ध दिनांक 02.02.2016 को पेश की है। जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 26.02.2014 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश द्वारा रेस्पों. को चक 1 बी.के.एस. एम. के प.नं. 118/36 के कि.नं. 10 में 0.215है0 अनकमाण्ड भूमि Rajashtan Colonisation (Allotment and Sale of government land in Indria Gandhi Canal Colony Area rules 1975 के नियम 14 के तहत Small patch में आवंटन की गई है नियम की Bare reading है कि " Allotment of small patch.- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules , small patch of Government land may be allotted, to a tenure whose tenure land adjoins such patch, subject to the ceiling area at [half of the index price or [the] reserve price whichever is higher]

[Provided that if the tenant of the adjoining land fails to apply for the allotment of small patc, the Allotting Authority shall make

9/10/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

arrangement for making allotment of such small patch to the tenure tenant of the same chak or of the adjoining chak.]

(2) In case more than one tenants apply for the allotment of the same small patch, allotment shall be made to the tenant of same murabba]

(3) The price of small patch shall be payable by the allottee in [four annual installments], the first installment being payable within a fortnight of the order of allotment in the current financial year of the alllotment. The due date in respect of the [second and subsequent instalments] shall be the date of the year of corresponding to the date on which the date of allotment was done in the next financail year. Interest at the rate of 12% per annum shall be charged from the defaulter of payment of an installment on the due date.]

Provided that if such small patch in allotted to a landless person to raise his holding to 25 bighas, the price and mode of payment shall be as prescribed in Rule 17. "

अपीलांट की मुख्य आपत्ति है कि अपील भी रेस्पों. के साथ चिपती हुई भूमि का खातेदार होकर उसे समुचित अवसर नहीं दिया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। भूमि आवंटन आदेश दिनांक 26.02.2014 में उल्लेख है कि अप्रार्थीगण/रेस्पों. की चक 1 बी.के.एस.एम. के प.नं. 118/36 के कि.नं. 1 से 5, 11 से 12, 16 से 25 में 4.024है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि के Adjoining small patch 0.215है0 भूमि का स्मालपेच में आवंटन किया जो खातेदारी व स्मालपेच 4.025 + 0.215 = 4.24 है0 = 4.24 X 6.32 = 26.7968 बीघा बनती है जो नियम 14 के परन्तुक के अनुसार Provided that if such small patch alloted to landless person to raise his holding to 25

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

bighas the price and mode of payment इन्हीं निमयों के नियम 17 के अनुसार होगा जो अधी. न्यायालय ने नहीं किया जो गंभीर विधिक त्रुटि है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.02.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि समस्त विधिक प्रकियाएं अपनाकर नियमों की पालना कर नये सिरे से आवंटन प्रकिया शुरू कर सीलिंग सीमा तक भूमि की जांच कर आवंटन कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर